रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012023-241660 CG-DL-E-04012023-241660

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2023/पौष 14, 1944 No. 13] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2023/PAUSHA 14, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023

का. आ. 16(अ)— केंद्रीय सरकार सहायताप्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 3 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सुश्री कविता पाटीदार, सदस्य, राज्यसभा को राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड में सदस्य के रूप में सम्मिलित करती है। तदनुसार, दिनांक 4 मई 2022 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा (ग) (जो कि दिनांक 19 मई 2022 की समसंख्यक अधिसूचना के द्वारा संशोधित किया गया था) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

(ग) डॉ. काकोली घोष दस्तीदार और डॉ. भारतीबेन धीरुभाई शियाल, लोकसभा सदस्य और सुश्री कविता पाटीदार, राज्यसभा सदस्य, सदस्य के रूप में।

[फा.सं. यू.11019/03/2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

33 GI/2023 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2023

- **S.O. 16(E)**—In exercise of power conferred by Section 3 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and Section 17 of Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the Central government hereby includes Ms. Kavita Patidar, Member, Rajya Sabha as a Member, in the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board. Accordingly, para (c) of notification no. of even no. dated 4th May, 2022 (which was modified vide notification of even no. dated 19th May, 2022) shall read as under:
- (c) Dr. Kakoli Ghosh Dastidar and Dr. Bharatiben Dhirubhai Shiyal, Members of Lok Sabha and Ms. Kavita Patidar, Member of Rajya Sabha as Members.

[F. No. U.11019/03/2022-HR] GEETA NARAYAN, Jt. Secy.